द्वारा ई-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1, चतुर्थ तल, अनु0–18, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

पत्र संख्याः अठ्ठारह–सीधी भर्ती(लिपिक)–2020 दिनांकः लखनऊःफरवरी, 8 2023

सेवा में,

1–पुलिस आयुक्त,
आगरा/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/वाराणसी/गाजियाबाद।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0
(जनपद सम्भल/सोनभद्र व श्रावस्ती को छोड़कर)

विषयः पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) सीधी भर्ती–2020 के सफल अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश।

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक पीआरपीबी–एक–1(लॉजिक च0प0)2020–21 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा पुरूषो एवं महिलाओं के लिये उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) पुरूष/महिला के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं चयन परिणाम इस मुख्यालय को प्रेषित करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रकरण में अवगत कराना है कि उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांकित 30.01.2023 द्वारा पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) पुरूष/महिला के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए यह अंकित किया गया है कि उक्त चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराये जाने वाले अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। उक्त चयन परिणाम भर्ती बोर्ड द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही पूर्ण करते हुए जारी किया गया है। यह चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांकः 16.01.2019 को पारित निर्णय के कम में शासनादेश संख्याः 39–रिट/का–2/2019, दिनांकः 26.06.2019 द्वारा इस प्रकरण में योजित स्पेशल अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम निर्णय एवं अन्य रिटों में पारित निर्णयों के अधीन होगा।

3. "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 एवं (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली–2016" में निहित प्रावधान के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद के लिए "पुलिस अधीक्षक" से है। चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से सम्पन्न करायी जानी है।

4. उल्लेखनीय है कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) पुरूष/महिला के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में ऐसे अभ्यर्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश न होकर अन्य राज्यों में हैं, वे अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन की कार्यवाही हेतु निम्न तालिका के अनुरूप सम्मिलित होगें :–

क0सं0	अभ्यर्थी के स्थायी निवासी का राज्य	चिकित्सा परीक्षा एंव चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित जनपद
1	बिहार/झारखण्ड	जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2	मध्य प्रदेश	जनपद झाँसी, उत्तर प्रदेश
3	छत्तीसगढ़	जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
4	राजस्थान	जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश
5	दिल्ली/हरियाणा	जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश
6	पंजाब/हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड	जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
7	उक्त के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए	जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश

5. चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी) को नामित करते हुए नामित किये गये नोडल अधिकारी का नाम मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई डी आदि की सूचना इस मुख्यालय की ई–मेल आई डी sectionofficer18phq@gmail.com <u>पर 03 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।</u>

कार्यवाही चिकित्सा परीक्षण

6. "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली–2016" में निहित व्यवस्था निम्नवत् है :–

नियम–17(च)– <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

"ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा, जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेगें जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वंय अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आदेवक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेगें। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसे रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिये आगे ले जाया जायेगा।"

7. अभ्यर्थियों के ऑख की दृष्टि के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रॉकः डीजी–चार–120(10)2013–पार्ट–2 दिनॉकः 04.04.2015 निर्धारित प्रारूप <u>(परिशिष्ट–'क')</u> संलग्न है। द्वारा दृष्टि की तीक्षणता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किया गया है :–

1– दूर दृष्टि दोनों ऑखों में 6/9 अथवा एक ऑख में 6/12 हो दूसरी ऑख में 6/6

2– निकट दृष्टि दोनों ऑखों में क्रमशः 0.6 व 0.8

अतः उपरोक्त निर्देश के अनुसार ही चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों का दृष्टि परीक्षण कराया जायेगा।

8. चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण कराने हेतु उन्हें गृह जनपद की पुलिस लाइन्स में नियत तिथि पर **प्रातः 09:00** बजे उपस्थित होने सम्बन्धी **बुलावा पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–"ख")** सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जायेगें।

9. चिकित्सीय परीक्षा स्थल पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके पास उस दिन चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत बुलावा–पत्र उपलब्ध रहेगा। सम्बन्धित पुलिस लाइन्स में चिकित्सा परीक्षा हेतु आये अभ्यर्थियों की पहचान जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा उनके आवेदन–पत्र में लगी फोटो से की जायेगी तथा अभ्यर्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में तैयार रजिस्टर पर दर्ज करायी जायेगी। रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप <u>(परिशिष्ट,"ग")</u> के रूप में संलग्न है। चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को सम्बन्धित अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र के साथ पत्रावली पर रखा जायेगा।

10. चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जायेगा। अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण संलग्न प्रारूप(परिशिष्ट–'घ') के अनुसार के कराया जायेगा, जो जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अभ्यर्थियों के कलर ब्लाइण्डनेस के सम्बन्ध

में निर्गत शासनादेश संख्या—6351—8/V—501—59 दिनॉकः 24—12—1959 (**परिशिष्ट—''ड.''**) में निहित व्यवस्थानुरूप अनुसार कराया जाना अपेक्षित है। चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों का दृष्टि परीक्षण चिकित्सीय परीक्षण में जनपदीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने के फलस्वरूप अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उन्हें उसी दिन उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में चिकित्सा परिणाम की घोषणा नोटिस बोर्ड पर नामवार व अन्य अपेक्षित विवरण सहित जनपद के **''नोटिस बोर्ड''(सूचना—पट)** पर चस्पा किया जाय तथा जन उद्बबोधन प्रणाली **(पी0ए0 सिस्टम)** के माध्यम से भी की जायेगी। जनपदीय चिकित्सा परिषद द्वारा किसी अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अपीलीय अधिकार एवं विहित प्रकिया के बावत समुचित जानकारी दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत करा दिया जायेगा।

11. जनपदीय चिकित्सा परीक्षण में असफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट—''च'')** में अपील जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी अपील की सूचना एवं मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने हेतु अपील की सूचना निर्धारित प्रारूप(**परिशिष्ट—''च—1''**) के रूप में संलग्न है। जनपदीय नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त अपीलों को संकलित करेगें तथा उसी दिन परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायेगें। जनपदीय नोडल अधिकारी, आवेदक को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपस्थित होनें की तिथि व समय से सूचित भी करेगें। चिकित्सीय परीक्षण की निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी द्वारा की गयी आपत्ति/अपील को स्वीकार नही किया जायेगा।

12. जनपदीय चिकित्सा परीक्षण में असफल अभ्यर्थी द्वारा मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण के सम्बन्ध में उपस्थित होने पर मण्डलीय नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट—''छ'')** में उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी। अभ्यर्थी के मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत अपील में अभ्यर्थी का शारीरिक मानक एंव चिकित्सीय परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट—''ज'')** के रूप में संलग्न है जिन्हें अभ्यर्थी की मूल पत्रावली में अभिन्न रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।

13. जनपदीय/मण्डलीय चिकित्सा परिषद में चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन की **प्रतिदिन** की कार्यवाही की सूचना **सायंकाल 17:00** बजे तक नामित नोडल अधिकारी द्वारा **डेली सूचना के रूप में** <u>प्रारूप—''झ'' एवं ''झ'।)''</u> में पुलिस मुख्यालय ईमेल आई डी sectionofficer18phq@gmail.com पर उपलब्ध कराई जायेगी।

14. अभ्यर्थी द्वारा की गयी आपत्ति/अपील के सन्दर्भ में मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा परिषद की आख्या परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद की आख्या मूलरूप में सम्बन्धित जनपद के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा जनपदीय चिकित्सा परीक्षण रिर्पोट, अभ्यर्थी को उसके द्वारा किये गये अपील के सन्दर्भ में जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई लिखित सूचना तथा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी मण्डलीय चिकित्सा परिषद की आख्या अभ्यर्थी की मूल पत्रावली में अभिन्न रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।

<u>कार्यवाही चरित्र सत्यापन</u>

16. ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली—2016'' में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत अंकित है :—

नियम—17(छ)— <u>चरित्र सत्यापन</u>

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घेषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिये आगे ले जाया जायेगा।

17. अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने स्तर से भर्ती बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियों का आन लाइन आवेदन पत्र में अंकित स्थाई व अस्थाई पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ से चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही विशेष वाहक के माध्यम से **एक सप्ताह** में प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाय साथ ही चयनित अभ्यर्थी यदि विगत 05 वर्षो में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जहॉ प्रवास पर रहा हो वहॉ से भी चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।

18. ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के निवासी है और उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, उनका चरित्र सत्यापन **प्रस्तर–4** के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित राज्य में अभ्यर्थी के निवास के जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं उस राज्य के अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराकर परिपूर्ण आख्या प्राप्त की जायेगी। चरित्र सत्यापन की कार्यवाही समय से विशेष वाहक के माध्यम से पूर्ण करायी जाय।

19— सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराने के पश्चात अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की पत्रावली जनपद में सुरक्षित रखेगें। **चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही में उपुयक्त पाये जाने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जायेगें।** किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे **अनुपयुक्त** घोषित किया जायेगा और उस आदेश की प्रति के साथ अभ्यर्थी का सम्पूर्ण विवरण इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

22. चरित्र सत्यापन की कार्यवाही निम्नॉकित प्रकिया के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगीः—

(क) **शासनादेश संख्या–4694/II-B-321-1947 दिनांक–28.04.1958(परिशिष्ट–"ट")** के प्रावधानों के अनुसार राज्य के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। पुलिस विभाग में चरित्र सत्यापन के लिए **पुलिस प्रपत्र संख्या–92** पहले ही प्रचलन में है। यह प्रपत्र प्रदेश के सभी जनपद पुलिस कार्यालयों में उपलब्ध है। अतः चयनित अभ्यर्थियों से **पुलिस प्रपत्र संख्या–92** की प्रविष्टियों को दो प्रतियों में भरकर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रपत्र में अभ्यर्थियों द्वारा **अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आन लाइन आवेदन** पत्र में दिये गये स्थायी निवास स्थान के साथ अस्थायी निवास स्थान(जो एक से अधिक हो सकते हैं) के अनुसार ऐसे प्रत्येक अस्थायी निवास स्थान जहॉ विगत पॉच वर्षो में अभ्यर्थी द्वारा एक वर्ष से अधिक निवास किया गया हो के लिए **पुलिस प्रपत्र संख्या–92** की एक–एक अतिरिक्त प्रति भी भरायी जायेगी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाये गये स्थायी तथा अस्थायी निवास स्थान के प्रत्येक जनपद से उनके चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक–28.04.1958 के साथ संलग्न तृतीय प्रारूप को भरकर एवं संलग्न द्वितीय प्रारूप में दो व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण–पत्र **(जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 06 माह के अन्दर निर्गत किया गया हो)** को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अतः कार्य को समय से पूरा करें। उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि नियुक्ति प्राधिकारी यह उल्लिखित कर सकते हैं कि **किस प्रकार के व्यक्तियों से अभ्यर्थी** द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय। अतः उचित होगा कि **चरित्र सत्यापन के समय उसके निवास के 02 सम्भ्रान्त व्यक्तियों से अभ्यर्थी के चरित्र/चाल–चलन के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जायें।** इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी से उस शैक्षिक संस्थान के प्रमुख से चरित्र एवं आचरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जहॉ से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो। यदि आवेदन के समय यह **प्रमाण–पत्र नहीं प्राप्त किये गये हैं, तो चरित्र सत्यापन के समय इन प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

5/—

(ख)नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शपथ पत्र में दी गयी सूचना के गलत पाये जाने अथवा किसी तथ्य को छिपाये जाने पर उसके चयन/अभ्यर्थन निरस्त करते हुए विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। <u>शपथ–पत्र का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–"ठ") इस पत्र के साथ संलग्न</u> है। अभ्यर्थीगण को शपथ–पत्र की प्रति जनपद कार्यालय से प्राप्त कराया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन वाले जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का दायित्व होगा कि वह आवेदन पत्र में अंकित स्थायी/अस्थायी पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से भेजकर **<u>एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण करायें तथा उनमें विद्यमान कमियों को भी अपने स्तर से पूर्ण करायें।</u>**

(घ) चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति का विवरण उपस्थिति रजिस्टर के संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में नियुक्त **नोडल अधिकारी जो पुलिस <u>उपाधीक्षक स्तर के होंगे</u>,** जनपद द्वारा निर्गत चरित्र सत्यापन तथा जो चरित्र सत्यापन अन्य जनपदों से प्राप्त हों, उन्हें भी समय से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि चरित्र सत्यापन के उपरान्त संकलित रूप में जनपद/अभिसूचना मुख्यालय के चरित्र सत्यापन के परिणाम के अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही सुनश्चित करायें।

(च) यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र/अभिलेख सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित करने के सम्बन्ध में नियमावली में विहित संगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(छ) यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये जायें तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा और यदि भर्ती के बाद भी भविष्य में कोई गलत तथ्य पाये जायें तो अभ्यर्थी को बिना शर्त उत्तर प्रदेश पुलिस में **<u>पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)</u>** की सेवा से पृथक कर दिया जायेगा तथा वैधानिक दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। **<u>शपथ पत्र में इस आशय की सहमति प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित होगी।</u>**

(ज)यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध अपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवचेना से उनके विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय हैं या किसी अपराधिक मामले में धारा–169 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत रिहा हुए हैं या भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम व संस्थान से सेवा से विमुक्त किये गये हैं अथवा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुए हैं, छिपाया गया है, अथवा गुमराह किया गया है तो ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुपयुक्त (**UNFIT**) घोषित किया जायेगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में मा0 सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश में दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त किया जाता है तो शासनादेश संख्या **4694/II-B-321-1947** दिनांक–**28.04.1958** में विहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले को जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जिस जिले में अभियोग पंजीकृत हुआ था, उस जनपद के **जिला मजिस्ट्रेट** को सन्दर्भित करेंगें और सम्बन्धित अभ्यर्थी के **पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)** के पद पर भर्ती के लिए उपयुक्त होने अथवा उपयुक्त नहीं होने के सम्बन्ध में उनकी सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत प्राप्त करेंगे, जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति के बारे में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुविचारित निर्णय लेंगे।

6/–

21. अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर **विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 20525/2011** अवतार सिंह बनाम **यूनियन** आफ इण्डिया व **अन्य** में **दिनांकः 21.07.2016** को सुनवाई के उपरान्त मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, का संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया जायेगा, उक्त आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत है :–

30. We have noticed various decisions and tried to explain and reconcile them as far as possible. In view of aforesaid discussion, we summarize our conclusion thus:

30.(1) Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information.

30.(2) While passing order of termination of services or cancellation of candidature for giving false information, the employer may take notice of special circumstances of the case, if any, while giving such information.

30.(3) The employer shall take into consideration the Government orders/ instructions/ rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision.

30.(4)(c) If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on technical ground and it is not a case of clean acquittal, or benefit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to antecedents, and may take appropriate decision as to the continuance of the employee.

30.(10) For determining suppression or false information attestation/verification form has to be specific, not vague. Only such information which was required to be specifically mentioned has to be disclosed. If information not asked for but is relevant comes to knowledge of the employer the same can be considered in an objective manner while addressing the question of fitness. However, in such cases action cannot be taken on basis of suppression or submitting false information as to a fact which was not even asked for.

<u>सामान्य निर्देश</u>

22. चयनित अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन के समय अपने साथ कम से कम 10 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जायेंगे। **<u>चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 07 दिवस के अन्तर्गत पूर्ण करा ली जाये। इस प्रकिया को समयान्तर्गत पूर्ण कराने के लिए जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का निकटतम् पर्यवेक्षण नितान्त आवश्यक है।</u>**

23. अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की इस कार्यवाही को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाय एवं प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराकर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

24. कृपया उपरोक्तानुसार चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर **<u>10 दिवस में</u>** इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

25. चयनित अभ्यर्थियों की मदद के लिए प्रत्येक जनपद मुख्यालय/पुलिस लाइन पर एक उप निरीक्षक ना0पु0 के नेतृत्व में एक <u>सहायता केन्द्र</u> की भी स्थापना कर दी जाय तथा **एक हेल्प लाइन नम्बर व ई–मेल आईडी भी आवंटित किया जाय,** जिससे अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाईयों का सम्यक समाधान हो सके। अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकिया से सम्बन्धित कोई भी सूचना अथवा जानकारी उक्त <u>सहायता केन्द्र</u> से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

26. परिक्षेत्रीय स्तर पर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक द्वारा नोडल राजपत्रित अधिकारी नामित कर नियत समयावधि में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाय एवं नोडल अधिकारी परिक्षेत्रवार सूचना संकलित कर पुलिस मुख्यालय को प्रतिदिन ई–मेल/फैक्स के माध्यम से सूचना **(परिशिष्ट–''ड'')** के अनुसार प्रेषित करेंगें। **यह दायित्व सम्बन्धित नोडल अधिकारी का होगा।**

27. **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण अभ्यर्थियों के गृह जनपद की पुलिस लाइन्स में सम्पन्न कराया जायेगा। चिकित्सा परीक्षण प्रारम्भ किये जाने की तिथि के बारे में अलग से निर्देश निर्गत किये जायेगें।

28. अभ्यर्थी नियत तिथि को प्रातः 09:00 बजे जनपद मुख्यालय की पुलिस लाइन्स में पहुचेगें।

7/–

29. जनपदीय नोडल अधिकारी पुलिस लाइन्स में **प्रातः 09:00 बजे** से पूर्व उपस्थित रहेगें। पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों के बैठने, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

30. पुलिस लाइन्स गेट पर बैनर लगाया जायेगा तथा किसी उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में ड्यिूटी गेट पर लगायी जायेगी, ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो एवं अव्यवस्था न हो। "Help Desk" **(हेल्प डेस्क/सहायता केन्द्र)**"

31. पुलिस लाइन्स में चयनित अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर चयन सूची में उसके नाम को चिन्हित किया जायेगा तथा चिकित्सा परिषद के समक्ष परीक्षण हेतु उपस्थित कराया जायेगा।

32. महिला अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के दृष्टिगत जनपदीय चिकित्सा परिषद में कम से कम एक महिला चिकित्सक को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।

33. चिकित्सीय परीक्षण स्थल पर जनपदीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहेगें तथा वहाँ पर समुचित पुलिस बल की भी व्यवस्था की जायेगी।

34. चिकित्सीय परीक्षण स्थल पर केवल उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके पास चिकित्सीय परीक्षण हेतु जनपद द्वारा निर्गत वैध बुलावा पत्र उपलब्ध रहेगा। चिकित्सा परीक्षण हेतु आये अभ्यर्थियों की पहचान उनके मूल आवेदन पत्र में लगी फोटो से जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी।

35. चिकित्सा परीक्षण स्थल पर चिकित्सा परिषद के सदस्यों एवं उनके चिन्हित सहयोगियों एवं ड्यिूटीरत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अभ्यर्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। इसे सुनिश्चित करना जनपदीय नोडल अधिकारी का दायित्व होगा।

36. जनपद प्रभारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेगें कि चिकित्सा परीक्षण स्थल के आस–पास **किसी प्रकार के अवांछनीय तत्वों यथा–मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने वाले, येन–केन प्रकारेण चिकित्सा परिषद की निर्धारित प्रकिया में बाधा पहुंचाने वाले, अभ्यर्थियों के अभिभावक आदि के प्रतीक्षारत रहने वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाय,** जिससे कोई प्रतिकूल दृष्टान्त प्रकाश में न आने पाये।

37. महिला अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण के दौरान सुचारू व्यवस्था करते हुए यह ध्यान रखा जाये कि महिला प्रसाधन (Ladies Toilet) की समुचित व्यवस्था है। यह भी ध्यान रखा जाये कि चिकित्सा परीक्षण की सम्पूर्ण प्रकिया में महिला अभ्यर्थियों के साथ कोई असम्मान जनक, अभद्र व्यवहार किसी के द्वारा न हो, इस हेतु अलग से महिला पुलिस कर्मी तैनात किये जायें।

38– चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की सम्पूर्ण प्रकिया का पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा। उक्त प्रकिया को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0ओ0) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

39. चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार/सकुशल सम्पन्न कराने हेतु मण्डल स्तर पर पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र का होगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को आवश्यक, निर्देश निर्गत कर उक्त प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करायेगें। इसी प्रकार कमिश्नरेट जनपदों में उक्त प्रकिया पुलिस आयुक्त द्वारा स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

40. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को परिक्षेत्र नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा की जाने वाली चिकित्सा परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करना सुनिश्चित करेगें एवं परिक्षेत्र के समस्त जनपदों की चिकित्सा परीक्षण व चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में समन्वय स्थापित करेगें साथ ही परिक्षेत्र की समस्त सूचनाओं का संकलन कर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक को प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

8/—

41. जनपदीय नोडल अधिकारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ से समन्वय बनाये रखेंगे एवं सुनिश्चित करेगें कि शासन की नीति एवं संगत सेवा नियमावली के अनुरूप ही मण्डल मुख्यालय के जनपद में परीक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही सकुशल सम्पन्न की जा रही है। इसके लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के अतिरिक्त वह मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी पुलिस अधिकारियों का भी निकट समन्वय बनाये रखेगें।

42. जनपदीय पुलिस प्रभारी चिकित्सा परीक्षण आरम्भ होने से पूर्व चिकित्सा परिषद के सभी सदस्यों एवं जनपद के नोडल अधिकारियों के साथ चिकित्सा परीक्षा सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में गोष्ठी कर लेंगे और यह सुनिश्चित करेगें कि चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी सभी तैयारियॉ पूर्ण कर ली गयी हैं।

43. चिकित्सा परीक्षण हेतु निर्धारित किये गये परीक्षण केन्द्र का जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा तीन दिन पूर्व भ्रमण कर सुनिश्चित करेगें कि परीक्षण स्थल पर सभी व्यवस्थायें पूर्ण हो गयी हैं।

44. चिकित्सा परीक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही के सुगम संचालन हेतु परीक्षण केन्द्र पर निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायें :—

(क) **स्थानः**—परीक्षण हेतु उचित स्थान/कक्ष जहॉ चिकित्सा परीक्षण तथा मण्डल मुख्यालय के जनपद में जहॉ मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण आयोजित करायी जानी है, पूर्व से निर्धारित कर लिये जायें तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

(ख) **फर्नीचर व टेन्टः**—केन्द्र पर अधिकारियों, सहयोगी स्टाफ व अभ्यर्थियों के बैठने हेतु फर्नीचर व टेन्ट आदि की समुचित व्यवस्था।

(ग) पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर, स्टेशनरी की व्यवस्था की जाये।

(घ) **शान्ति व्यवस्था हेतु परीक्षा केन्द्र पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति (डयूटी) :—**
परीक्षण स्थल के मुख्य द्वार पर अनधिकृत प्रवेश को रोकने हेतु पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में अभ्यर्थी एवं वहॉ नियुक्त/ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवेश न करने पाये। परीक्षण स्थल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी परीक्षण स्थल पर उनके नाम/बैज नम्बर का उल्लेख करते हुए लगायी जाय।

(ड.) महिला अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण के दौरान परीक्षण केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में महिला कर्मियों की नियुक्ति (न्यूनतम कम से कम 01 महिला उपनिरीक्षक व 02 महिला आरक्षी) की जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि महिला अभ्यर्थियों का परीक्षण महिला अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो।

(च) इसके अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों अथवा उनके सहयोगियों द्वारा शान्ति भंग करने अथवा उपद्रव करने की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय।

(छ) चिकित्सा परीक्षण के सफल अभ्यर्थियों की पत्रावली चरित्र सत्यापन हेतु नामित सदस्यों के समक्ष अगले दिन प्रस्तुत करने तथा चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त अभ्यर्थियों में से जिनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद से अपना चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु आवेदन किया जाय, उनकी पत्रावलियां सूची सहित मण्डलीय चिकित्सा परिषद को समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु जिम्मेदार व विश्वसनीय कर्मियो की नियुक्ति की जाये।

(ज) **विद्युत आपूर्तिः**—परीक्षण स्थल पर सतत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था एवं सहवर्ती उपकरण की व्यवस्था पूर्ण करा ली जाय।

(झ) **अभ्यर्थियों एवं कर्मियों के उपयोगार्थ व्यवस्थाः**–परीक्षण स्थल पर अभ्यर्थियो एवं स्टाफ के उपयोग हेतु स्वच्छ पीने का पानी,बैठने के लिए अपने संशाधनों से उपयुक्त स्थान, कुर्सी,मेज व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था पूरी कर ली जाये।

(ट) **कार्ययोजना** :–अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के प्रत्येक बिन्दु पर पहुंचने के लिए समुचित प्रबन्ध व कार्य की निरन्तरता की योजना बना ली जाय।

45 नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगें कि चिकित्सा परीक्षण केन्द्र पर प्रत्येक दिन चिकित्सा परिषद व मण्डलीय चिकित्सा परिषद के सभी सदस्य समय से उपस्थित हो रहे हैं तथा परीक्षण की कार्यवाही समय से आरम्भ हो रही है।

46. अभिलेखों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित रख–रखाव हेतु उचित होगा कि प्रतिदिन चिकित्सा परीक्षण में **उपयुक्त व अनुपयुक्त** हुए अभ्यर्थियों की पत्रावलियां अलग–अलग कराकर उसी दिन तिथिवार जनपद में सुरक्षित रखवा दी जाये।

47. चिकित्सा परीक्षण में **अनुपयुक्त** हुए अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद से अपना चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में उसी दिन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी पत्रावलियां अलग–अलग निकलवा कर अभ्यर्थियों की सूची सहित नियत तिथि को समय से मण्डलीय चिकित्सा परिषद को उपलब्ध करा दी जाये। मण्डलीय नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण सम्पन्न किये जाने के उपरान्त उसी दिन सभी पत्रावलियां मण्डलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त कर चिकित्सा परीक्षण में **उपयुक्त व अनुपयुक्त** हुए समस्त अभ्यर्थियों की अलग–अलग पत्रावलियाँ सम्बन्धित जनपद को वापस कर दी जायें।

48. आधारभूत संरचना सम्बन्धी एंव अन्य छुद्र आवश्यकताओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यय जनपद के भार से किया जायेगा, इसके लिए अलग से कोई धनराशि की मॉंग न की जाय।

49. चरित्र सत्यापन हेतु जनपदीय स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक समिति गठन कराया जायेगा, जिसमें जनपद के प्रधान लिपिक व सम्बन्धित सहायक अवश्य सम्मिलित हों।

50. चरित्र सत्यापन हेतु जनपदीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र व अभिलेखों में भिन्नता अथवा संदिग्धता की स्थिति में चरित्र सत्यापन फार्म भरवा लिया जाय, परन्तु चरित्र सत्यापन की कार्यवाही तब तक न करायी जाय जब तक कि अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन संबंधित संस्थान से पुष्टि न हो जाये। सम्बन्धित संस्थान से अभिलेखों की पुष्टि होने के पश्चात ही अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही करायी जाय। यदि संबंधित संस्थान से अभ्यर्थी के अभिलेखों की पुष्टि न होने अथवा भिन्नता पाये जाने पर नोडल अधिकारी सर्वप्रथम अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान आवेदन पत्र में लगे फोटो से करेगें। अभ्यर्थी का चेहरा आवेदन पत्र में उपलब्ध फोटो से सही मिलने पर उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये पर अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख संबंधित कालम में अभ्यर्थी का अंगुष्ठ छाप लेंगे। एक पृष्ठ पर 10 अभ्यर्थियों का <u>उपस्थिति पत्रक</u> (उपस्थिति पत्रक का प्रारूप संलग्न है) होगा, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर दल के सदस्यों/नामित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। अभ्यर्थी के चेहरे का आवेदन पत्र में उपलब्ध उसके फोटो से मिलान होने पर ही उपस्थित पत्रक पर अभ्यर्थी का अंगुष्ठ छाप प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी। यदि अभ्यर्थी का चेहरा आवेदन पत्र में उपलब्ध फोटो से भिन्न पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को या तो केन्द्र से तत्काल वापस भेज दिया जाये अथवा उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाय।

10/–

51. **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की कार्यवाही एवं भर्ती प्रकिया को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु इन अधिकारियों / कर्मचारियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है, जो निम्नवत है :—

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	नामांकन	मोबाइल नम्बर	ई—मेल
1	श्री सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज	पुलिस अधीक्षक, स्थापना	पर्यवेक्षण अधिकारी	9454400232	sectionofficer18phq@gmail.com
2	श्रीमती अमृता मिश्रा	अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना	नोडल अधिकारी	9454401198	sectionofficer18phq@gmail.com
3	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना	सहा0नोडल अधिकारी	94544458328	sectionofficer18phq@gmail.com
4	श्री निजाम संजरी	अनुभाग अधिकारी / उप निरीक्षक, लिपिक	सदस्य	9454402018 9453418111	sectionofficer18phq@gmail.com
5	श्री स्वामी दत्त तिवारी	उप निरीक्षक, लिपिक	सदस्य	7839858942 9453556900	sectionofficer18phq@gmail.com
6	ओम प्रकाश सिंह	पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लिपिक	सदस्य	7905520665	sectionofficer18phq@gmail.com
7	प्रभात शुक्ला	मुख्य आरक्षी	सदस्य	6392490876	sectionofficer18phq@gmail.com

52. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उ0प्र0 **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद पर सीधी भर्ती—2020 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण हेतु जनपद / पुलिस कमिश्नरेट के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी से जिला चिकित्सालय पर जनपदीय चिकित्सा परिषद / मण्डलीय चिकित्सा परिषद का गठन कराते हुए (जिसमें एक महिला चिकित्सक अवश्य हो) इस मुख्यालय को <u>03 दिवस के अन्दर पत्र में अंकित ई—मेल आईडी पर 03 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से अवगत करायें तथा चरित्र सत्यापन की कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।</u>

<u>संलग्नक—यथोपरि।</u>

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें:—

1—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश,।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u> अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉकित 30.01.2023 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रतिलिपिः</u> अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त पत्र संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त निर्देश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट **uppolice.up.nic.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

51. **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की कार्यवाही एवं भर्ती प्रकिया को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु इन अधिकारियों/कर्मचारियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है, जो निम्नवत है :–

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	नामांकन	मोबाइल नम्बर	ई–मेल
1	श्री सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज	पुलिस अधीक्षक, स्थापना	पर्यवेक्षण अधिकारी	9454400232	sectionofficer18phq@gmail.com
2	श्रीमती अमृता मिश्रा	अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना	नोडल अधिकारी	9454401198	sectionofficer18phq@gmail.com
3	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना	सहा0नोडल अधिकारी	94544458328	sectionofficer18phq@gmail.com
4	श्री निजाम संजरी	अनुभाग अधिकारी/ उप निरीक्षक, लिपिक	सदस्य	9454402018 9453418111	sectionofficer18phq@gmail.com
5	श्री स्वामी दत्त तिवारी	उप निरीक्षक, लिपिक	सदस्य	7839858942 9453556900	sectionofficer18phq@gmail.com
6	ओम प्रकाश सिंह	पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लिपिक	सदस्य	7905520665	sectionofficer18phq@gmail.com
7	प्रभात शुक्ला	मुख्य आरक्षी	सदस्य	6392490876	sectionofficer18phq@gmail.com

52. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उ0प्र0 **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद पर सीधी भर्ती–2020 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण हेतु जनपद/पुलिस कमिश्नरेट के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी से जिला चिकित्सालय पर जनपदीय चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद का गठन कराते हुए (जिसमें एक महिला चिकित्सक अवश्य हो) इस मुख्यालय को <u>03 दिवस के अन्दर पत्र में अंकित ई–मेल आईडी पर 03 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से अवगत करायें तथा चरित्र सत्यापन की कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।</u>

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

08.02.23

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें:–

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश,।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u> अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉकित 30.01.2023 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रतिलिपिः</u> अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त पत्र संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त निर्देश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट **uppolice.up.nic.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

परिशिष्ट-"क"

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग,लखनऊ ।

पत्रांक:DG-IV-120(10)13-Part-2 दिनाँक:लखनऊ:अप्रैल 04 ,2015

अध्यक्ष,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

विषय:- आरक्षी समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के संबंध में।

कृपया मेरे समांक पत्र दिनांकित 14.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो वर्ष 2013 आरक्षी समकक्ष पुलिस सीधी भर्ती चिकित्सा प्रपत्र के संबंध में है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय जनपदों द्वारा वर्ष-2009 की आरक्षी भर्ती के चिकित्सीय परीक्षण में दृष्टि की तीक्ष्णता हेतु निर्धारित मानक का उल्लेख करते हुये वर्तमान में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों शीघ्र दूर किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

3- कतिपय जनपदों द्वारा किये गये अनुरोध एवं शासनादेश संख्या:6270/पाँच-5-23-78 दिनाँक 16.11.1978(छाया प्रति संलग्न) में निर्धारित प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व आरक्षी सीधी भर्ती-2009 में नेत्र परीक्षण के मानक को पुलिस भर्ती चिकित्सा प्रपत्र में सम्मिलित करते हुये बिना चश्मे के दृष्टि की तीक्ष्णता निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

1-दूर दृष्टि दोनो आखों में 6/9 अथवा एक आँख में 6/12 हो दूसरी आँख में 6/6 ।

2-निकट दृष्टि दोनो आँखों में क्रमश: 0.6 व 0.8 ।

2- अतएव तदनुसार इसे चिकित्सीय परीक्षण में सम्मिलित करते हुये अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।

परिशिष्ट—''ख''

बुलावा—पत्र

सेवामें,

अभ्यर्थी का नाम व पूरा पता तथा मोबाइल नम्बर आदि अंकित किया जायेगा ....

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि **यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी कराये जाने वाले अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।**

2. ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली—2016'' में निहित व्यवस्था निम्नवत् है :—

नियम—17(च)— चिकित्सा परीक्षण

> ''ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा, जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेगें जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वंय अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आवेदक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेगें। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसे रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिये आगे ले जाया जायेगा।''

3. उपर्युक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप चिकित्सीय परीक्षण हेतु दिनॉक .... को जनपद .... की पुलिस लाइन में प्रातः .... बजे जनपद के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चत करें। साथही निम्नलिखित अभिलेख भी अपने साथ लायेगें:—

1— शैक्षिक योग्यता प्रमाण—पत्र, अन्तिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र एवं निवास प्रमाण—पत्र, जो ओ0एम0आर0 आवेदन—पत्र में दर्शाये गये हैं, की मूल प्रतियॉ एवं दो—दो स्वप्रमाणित प्रतियॉ।
2— आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, जो ओ0एम0आर0 आवेदन—पत्र में दर्शाये गये हैं, की मूल प्रतियॉ एवं दो—दो स्वप्रमाणित प्रतियॉ।
3— ग्राम/मोहल्ले के सम्भ्रान्त दो व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली—भॉति जानने एवं चरित्र के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण—पत्र।
4— 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
5— निर्धारित प्रारूप में शपथ—पत्र।
6— फोटोयुक्त अपना पहचान—पत्र (यथा वोटर आईडी/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ ड्राइविग लाइसेन्स/पासपोर्ट में से कोई एक)

13/—

4. यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तर दायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन/अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

5. चिकित्सीय परीक्षण से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील, जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को सम्बोधित होगी प्रस्तुत करेगा, इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जायेगी, जो जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायी जायेगी।

6. चिकित्सीय परीक्षण हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अवांछनीय तथ्य **(यथा—मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रकिया में बाधा पहुचाने का प्रयास)** प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, जनपद ....

संख्या:—
दिनॉक:............................

प्रतिलिपि—प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष............................ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे पत्र की एक प्रति अभ्यर्थी...........................पुत्र/पुत्री/पत्नी .... के ऊपर अंकित पते पर हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनॉक सहित प्राप्त कर अभिलेखार्थ भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि अभ्यर्थी अंकित पते पर उपस्थित नहीं मिलता है तो उसके परिवार के वयस्क सदस्य को उपरोक्तानुसार पत्र प्राप्त कराकर दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित करा दिया जाये।

14/—

परिशिष्ट—"ग"

उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

(उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020)

1— भर्ती बोर्ड का कमॉक..

2— अनुक्रमॉक—..

3—अभ्यर्थी का नाम..

4— पिता का नाम...

अभ्यर्थी का फोटो चस्पा किया जायेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा मिलान के उपरान्त प्रमाणित किया जायेगा।

5—स्थायी पता(गॉव/मकान नम्बर व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिन कोड)

....

.................................जनपद .... पिन कोड ....

6—पत्र व्यवहार का पता(गॉव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और पिन कोड)

....

....

.... जनपद .... पिन कोड ....

7— मोबाइल नम्बर—.................................... 8— ई—मेल ....

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अॅगूठे का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनॉक

नोट—

1—अभ्यर्थी के पुलिस लाइन्स आगमन पर सूची में उसके नाम का मिलान कर के चिन्हित किया जायेगा।

2— उपस्थित रजिस्टर में उपरोक्त अंकित विवरण चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी से भरवाया जायेगा।

3— उपस्थित रजिस्टर पर एक पृष्ठ पर केवल एक ही अभ्यर्थी की उपस्थिति अंकित की जायेगी।

4— अभ्यर्थियों से तहसील, विकास खण्ड, थाना, गांव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणों सहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

परिशिष्ट—"घ"

जनपदीय चिकित्सा परिषद

(उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020)
में अभ्यर्थी का शारीरिक मानक एंव चिकित्सीय परीक्षण

1—आवेदन पत्र / पंजीकरण संख्या.. अनुक्रमॉक ....

2—अभ्यर्थी का नाम.. श्रेणी ....

3— पिता का नाम...

जन्मतिथि.. दिनॉक ....

चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का नाम...

चिकित्सा परिषद—प्रथम / द्वितीय(अपीलीय)..

भाग—प्रथम, शारीरिक मानक परीक्षण

ऊँचाई(से0मी) न्यूनतम मानक पुरूष सामान्य जाति / पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति—163 अनुसूचित जन जाति—156	ऊँचाई(से0मी) न्यूनतम मानक महिला सामान्य जाति / पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति—150 अनुसूचित जन जाति—145	वजन(कि0ग्रा0) (केवल महिला) न्यूनतम् 40 किलोग्राम	सफल	असफल कारण सहित

भाग—द्वितीय, शारीरिक मानक परीक्षण

क0 सं0	परीक्षण	परिणाम(√) करें	
		Positive(सकारात्मक)	Negative(नकरात्मक)
1	नॉक—नी(आपस में टकराते घुटने)		
	बो—लेग्स		
	फ्लैट—फीट(समतल तलवे)		
	वैरीकोज—वेन्स(उभरी हुए नसे)		
	स्पीच डिएबिलिटी		
	अन्य कोई शारीरिक डिफॉरमिटी(विकृति)		
2	हियरिंग(श्रवण परीक्षण)		
	(1) रिन्नीज टेस्ट		
	(2) वेबर्स टेस्ट		
	(3) वर्टिगो		

क्र0 सं0	परीक्षण	परिणाम(√) करें		
		Positive(सकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)	
3	दृष्टि			
	(1) आंखों का भेंगापन(स्विचन्त)			
	(2)वर्णान्धिता(कलर ब्लाइण्डनेस)	बांयी आंख	दाहिनी आंख	औसत
	(3) दूर दृष्टि(बिना चश्मे के)			
	(4) निकट दृष्टि			
4	इत्यादि			

चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त (भाग द्वितीय के अनुसार कारण सहित)

सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त/अनुपयुक्त भाग—प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार कारण सहित

नोट—

1— अभ्यर्थियों के स्वाथ्य परीक्षण में उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ही लिखा जाय। अस्थायी उपयुक्त अथवा अस्थायी अनुपयुक्त न लिखा जाय।

2—कलर ब्लाइण्डनेस के सम्बन्ध में निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध शासनादेश संख्या—6351—B/V—501—59 दिनॉक—24.12.1959 अवश्य देख लिया जाय।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का अंगूठा निशान बॉया.. दाहिना ....

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
अध्यक्ष चिकित्सा परिषद

परिशिष्ट—"ङ."

For kind attention to, ADG Telecom U.P. Lucknow
From DIG PHQ Alld,

No. 6351-B/V-501-59

From

SACHIV
UTTAR PRADESH SHASAN

To,

SWASTHYA BIMA SANCHALAK,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

Dated Lucknow: December, 24, 1959.

Subject:------ Revision of standard of vision in respect of services under the State Government.

Sir,

---------------------the standard of vision ------------------70-B/V-596 1957 dated -------- 1958, was found to be still -----------. It was therefore, deemed necessary to review certain aspects of the earlier decision. A committee consisting of some ophthalmic experts of the State and certain Heads of Technical Departments was formed to examine the matter. After a thorough examination thereof the Committee had submitted. Its recommendations for modifying, in certain respects, the prescribed standard of vision for first entry in the State Services including the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch). The Government after having given careful consideration to the Committee's suggests has in partial modification of G.O. no. 70-B/V-596-1957, dated January 8, 1958 (refereed to above) been pleased to order as follows:-

A-Entry of one-eyed person in service under the State Government:-

(i) Class I and II Services----Non one-eyed person should be appointed to Class I or Class II Services except where the appointment is to be on contract basis.

(ii) Class III Ministerial Services- One-eyed person may be recruited to Class III Services and such other non-technical Class III Services which do not involve hazardous work provided that the sound eye has a vision of 6/6 or 6/9.

(iii) Class IV Services-Absence of vision in one eye should not be deemed an absolute disqualification for entry in Class IV Services if the vision in the functioning eye is 6/6 or 6/9 and there is no likelihood of deterioration of vision in the functioning eye. If a Class IV Service constitutes technical personnel employed in a factory or in grinding work or on a similar job involving hazardous duties the absence of one eye should be a definite disqualification for the recruitment of such personnel.

B- Standard of colour vision for services under the State Government:-

I. Non-Technical Services:-

Colour vision should be tested and recorded for all class of non-technical services (Class I, II, III and IV) but defective colour vision should not be a disqualification for into these services.

II. Technical Services:-

(i) POLICE SERVICES: For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification.

(II) ---- SERVICES: Persons with defective colour vision as tested on Ishihra's plates should not be recruited to the posts of Drivers, Mechanics, and Foremen under the Transport Department. For other posts in the Transport Department colour vision should be tested and recorded but defective colour vision will not constitute a cause for rejection in their cases.

(iii) Medical Services: Candidates who can recognise gross forms of principal colours (red, greem, blue and yellow) as tested by colour discs of the above colours of 1" diameter should be considered medically fit for recruitment to Medical Services.

(iv) Engineering Services of Irrigation Departments..: (1) Recognition of gross form of red, blue green and yellow colours as tested by colour dises of 1" diameter should be considered sufficient for entry into the services.

(2) For Architects in the above services finer colour differentiation being essential colour vision should be tested on in Ishihara plats and any defect shown by them should be a cause of disqualification.

C- Aculty of Vision

1. Naked eye vision)(As already prescribed in G.O. no.
2. Distance and near vision)(70-B/V-596—57, dated January 8, 1958.
3. Maximum permissible refractive error. Subject to visual standards as already laid down in G.O. no. 70-B/V –596/57. dated January 8, 1958, the amount of rofractive error in respect of Class I and II Services should be as below:-

(i) All Technical Services, · Correction upto +6, diptres or -6

(Transport and Police Service. dioptres (inclusive of cylinders:) should be permissible provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of the progressive type. Presence of myopio cresent by itself without any other degenerative change should not constitute a cause for rejection.

(ii) Non-Technical Service... Correction upto +8 dioptress or -8 dioptres (inclusive of cylinders) should be made permissible provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopin is not of the progressive type. Prosonco of myopio corscent by itself without any other degenerative change should and constitute a cause for rejection.

Class III and IV Services

No limit for refrective error if the visual acuity is in accordance with the standards already laid down in G.O. no. 70-B/V-596/1957, dated January 8, 1958.

Motor Drivers

(I) Naked eye Vision :-- As already provided in the said Government Order.

(ii) Corrected Vision--- Minimum vision after correction with glasses should not be below 6/12 in any of the eyes.

(iii) Maximum permissible refractive error.: Subject to the above visual standards the amount of refractive error should not exceed x6 dioptress or -6 dioptres provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of progressive type Presence of myopic crescent by it all without any other degenerative changes should not constitute a cause for rejection.

(iv) Colour Vision ------ Drivers should be tested for colour vision on Ishihera's plates and any defect detected on this test should be a cause for rejection.

(v) Field of Vision ------- This should be tested in all drivers by confrontation test and suspicion of any defect should be confirmed by porimetry or Bj careen.

(vi) Squint ....----- Presence of manifest squint in the case of drivers should constitute a cause for rejection.

(vii) Periodical Check-U.P. The drivers should be required to have a check-up after every four years under the above headings.

D-General

Such of the candidates as do not fulfill all the standards but are yet considered likely fit cases" by the ophthalmic surgeon in the Board, should be referred to a special Medical Board comprising of three ophthalmic surgeons the senior most of whom will act as Chairman.

2. In all other respects excepting the above, the provisions of G.Q. no. 70-B/V -596-1957, dated January 8, 1958 shall remain unaltered.

20/—

3. The above orders will come into force with effect form the date of their issue and all cases as have not finally been disposed of should be covered by these orders add dealt with accordingly.

4. Necessary draft correction slip to paragraph 247 of the Uttar Pradesh Medical Manual Second Edition corrected upto June, 30 1953) may be submitted to Government for approval in due course.

Yours faithfully,
K.C. JOSHI,
Up Sachiv,
For Sachiv.

No. 5351/(i)B/V-501-1959

Copy forwarded for information to-----------

(i) all Heads of Departments and the Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh,

(ii) all departments of the Secretariat,

in continuation of G.E. No. 70(i) B/V-596-1957, dated January 6, 1938.

No. 5351/(i) B/V------501-1939

Copy also forwarded for information to---------

(i) The Secretary, Uttar Pradesh Public Service Commission, Allahabad.

(ii) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad,

In continuation of G.E. no. 70(ii) B/V-596-1957, dated January 8, 1958,

By order,
K.C. JOSHI,
.. Sachiv

परिशिष्ट—"च"

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जनपदीय चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरूद्ध मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील हेतु प्रार्थना—पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी का फोटो चस्पा किया जायेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा मिलान के उपरान्त प्रमाणित किया जायेगा।

सेवा में,

मण्डलीय चिकित्सा परिषद,

मण्डल ....।

विषयः—जनपदीय चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरूद्ध मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील हेतु प्रार्थना—पत्र।

——

महोदय,

आज दिनॉक—............................ को जनपद— .... की चिकित्सा परिषद द्वारा मुझे परीक्षण के मध्य निम्न कमियों के कारण अनुपयुक्त घोषित किया गया हैः—

1 ....

2 ....

3 ....

2— उक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि मैं जनपदीय चिकित्सा परिषद द्वारा घोषित उक्त परीक्षण परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ।

3— अतः अनुरोध है कि मेरा चिकित्सा परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद से कराये जाने की कृपा करें। मैं निर्धारित तिथि पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करूंगा।

दिनॉकः

भवदीय,

हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)

पिता का नाम

अनुकमॉक......................

आवेदन पत्र संख्या.................

मोबाइल नम्बर..............................

ई—मेल..

22/—

परिशिष्ट–" च–1"

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी अपील की सूचना प्राप्ति पत्र का प्रारूप (कार्यालय प्रयोग हेतु)

मेरे द्वारा अपने चिकित्सा परीक्षण से असन्तुष्ट होने के कारण प्रस्तुत अपील को मण्डलीय चिकित्सा परिषद से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा तिथि व समय से अवगत कराया दिया गया है। मैं नियत तिथि व समय पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सा परीक्षण हेतु समय से उपस्थित होऊँगा।

हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)
पिता का नाम
जनपद का नाम–
अनुक्रमॉक......................
आवेदन पत्र संख्या.................
मोबाइल नंम्बर...............................
ई–मेल..

चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी अपील की सूचना प्राप्ति पत्र

(मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने हेतु अपील की सूचना)

(अभ्यर्थी के लिये)

आज दिनॉक .... को अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य परीक्षण से असंतुष्ट होने की दशा में अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपील मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कराये जाने की तिथि – –2023 नियत की जाती है। अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण हेतु मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उक्त नियत तिथि व समय पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त अभिलेखों सहित प्रातः 08:00 बजे उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करायें।

नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम व पद नाम ....
जनपद का नाम.......................
मोबाइल नम्बर.........................

परिशिष्ट—"छ"

(मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

(उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020)

1— भर्ती बोर्ड का क्रमॉक...

2— अनुक्रमॉक—...

3—अभ्यर्थी का नाम...

4— पिता का नाम...

अभ्यर्थी का फोटो चस्पा किया जायेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा मिलान के उपरान्त प्रमाणित किया जायेगा।

5—स्थायी पता(गॉव/मकान नम्बर व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिन कोड)

....

..............................जनपद .... पिन कोड ....

6—पत्र व्यवहार का पता(गॉव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और पिन कोड)

....

....

.... जनपद .... पिन कोड ....

7— मोबाइल नम्बर—.............................. 8— ई—मेल ....

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अँगूठे का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनॉक

नोट—

1—अभ्यर्थी के पुलिस लाइन्स आगमन पर सूची में उसके नाम का मिलान कर के चिन्हित किया जायेगा।

2— उपस्थित रजिस्टर में उपरोक्त अंकित विवरण चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी से भरवाया जायेगा।

3— उपस्थित रजिस्टर पर एक पृष्ठ पर केवल एक ही अभ्यर्थी की उपस्थिति अंकित की जायेगी।

4— अभ्यर्थियों से तहसील, विकास खण्ड, थाना, गांव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणोंसहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

24/—

परिशिष्ट–"ज"

मण्डलीय चिकित्सा परिषद

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 में अभ्यर्थी का शारीरिक मानक एंव चिकित्सीय परीक्षण

1–आवेदन पत्र/पंजीकरण संख्या.. अनुक्रमॉक ....

2–अभ्यर्थी का नाम..

3– पिता का नाम..

जन्मतिथि.. दिनॉक ....

चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का नाम..

चिकित्सा परिषद–प्रथम/द्वितीय(अपीलीय)..

भाग–प्रथम, शारीरिक मानक परीक्षण

ऊँचाई(से0मी) न्यूनतम मानक पुरूष सामान्य जाति/ पिछड़ी जाति/ अनुसूचित जाति–163 अनुसूचित जन जाति–156	ऊँचाई(से0मी) न्यूनतम मानक महिला सामान्य जाति/ पिछड़ी जाति/ अनुसूचित जाति–150 अनुसूचित जन जाति–145	वजन(कि0ग्रा0) (केवल महिला) न्यूनतम् 40 किलोग्राम	सफल	असफल कारण सहित

भाग–द्वितीय, शारीरिक मानक परीक्षण

क0 सं0	परीक्षण	परिणाम(√) करें	
		Positive(साकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)
1	नॉक–नी(आपस में टकराते घुटने)		
	बो–लेग्स		
	फ्लैटक–फीट(समतल तलवे)		
	वैरीकोज–वेन्स(उभरी हुए नसे)		
	स्पीच डिएबिलिटी		
	अन्य कोई शारीरिक डिटॉरमिटी(विकृति)		
2	हियरिंग(श्रवण परीक्षण)		
	(1) रिन्नीज टेस्ट		
	(2) वेबर्स टेस्ट		
	(3) वर्टिगो		

क्र0 सं0	परीक्षण	परिणाम(√) करें		
		Positive(साकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)	
3	दृष्टि			
	(1) आंखों का भेंगापन(स्विचन्ट)			
	(2)वर्णान्धिता(कलर ब्लाइण्डनेस)	बांयी आंख	दाहिनी आंख	औसत
	(3) दूर दृष्टि(बिना चश्मे के)			
	(4) निकट दृष्टि			
4	इत्यादि			

चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त (भाग द्वितीय के अनुसार कारण सहित)

सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त/अनुपयुक्त भाग–प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार कारण सहित

नोट–

1– अभ्यर्थियों के स्वाथ्य परीक्षण में उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ही लिखा जाय। अस्थायी उपयुक्त अथवा अस्थायी अनुपयुक्त न लिखा जाय।

2–कलर ब्लाइण्डनेस के सम्बन्ध में निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध शासनादेश संख्या–6351–B/V–501–59 दिनॉक–24.12.1959 अवश्य देख लिया जाय।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का अंगूठा निशान बॉया.. दाहिना ....

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
अध्यक्ष चिकित्सा परिषद

परिशिष्ट—"झ"

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षण में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रतिदिन (डेली) सूचना भेजने का प्रारूप)

क्र0 सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या	चिकित्सीय परीक्षण की दिनॉक	चिकित्सीय परीक्षण में			मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण हेतु अपील प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण में असफल अभ्यर्थियों की संख्या	चिकित्सीय परीक्षण पूर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	चिकित्सीय परीक्षण हेतु शेष अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
					उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	सफल अभ्यर्थियों की संख्या	असफल अभ्यर्थियों की संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12	13	14

परिशिष्ट—"झ"(1)

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में चयनित अभ्यर्थियों की मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रतिदिन(डेली) सूचना भेजने का प्रारूप)

क0 सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण का दिनॉक	मण्डलीय चिकित्सा परीक्षा में			मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण पूर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	मण्डलीय चिकित्सीय परीक्षण हेतु शेष अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
					उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	सफल अभ्यर्थियों की संख्या	असफल अभ्यर्थियों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट—"ट"

SECRET

No. 4694/II-B-321-1947

FORM

SRI GOVING NARAIN I.C.S.
MUKHYA SACHIVA,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

(1) ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES, UTTAR PRADESH,
(2) ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS, UTTAR PRADESH,
(3) ALL DISTRICT OFFICERS, UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, April 28, 1958

Appointment (B) Deptt.

Subject: **Verification of the character and antecedents of government servants before their first appointment.**

I am directed to refer to Appointment (B) Department Secret G.O. no. 2712/II-B-321-1947, dated November 9, 1953 in which detailed instructions were issued regarding the method of verification of character and antecedents of candidates for appointment under the State Government. These instructions were later on revised in this Department Secret G.O. no. 4637/II-B-321-47, dated December 4, 1957. It has been noticed that difficulty is being experienced by some appointing authorties in correctly interpreting the instructions issued in the Government Order, dated December 4, 1957. It has also been found that these instruction are not fully comprehensive to cover all the cases. The Governor has therefore been pleased to lay down the following instruction in supersession of all the previous order on the subject.

The rule regarding character of candidate for appointment under the State Government shall continue to be as follows:

"The character of a candididate for direct appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service or post to which he is to be appointed. It would be the duty of the appointing authority to satisfy itself on this point.

3. (a) Every direct recruit to any service under the Uttar Pradesh Government will be required to produce:

(i) A certificate of conduct and character from the head of the educational institution where he last studeied (if he went to such an Institution).

(ii) Certificates of character from two persons. The appointing authority will lay down requirements as to kind of persons from whom it desires these certificates.

(b) In cases of doubt, the appointing authority may either ask for further references, or may refer the case to the District Magistrate concerned. The District Magistrate may then makes such further enquiries as he considers necessary.

NOTE- (a) A conviction need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of Government as by law now established in free India the mere conviction need not be regarded as disqualifiaction. (Conviction of a person during his childhood should not necessarily operate as a bar to his entering Government service. The entire circumstances in which his conviction was recorded as well as the circumstances in which he is now placed should be taken into consideration. If he has completely reformed hiself on attaining the age of understanding and discretion, mere conviction in childhood should not operate as a bar to his entering Government service).

(b) while no person should be considered unfit for appointment solely because of his political opinions, care should be taken not to employ persons who are likely to be disloyal and to abuse the confidence placed in them by virtue of there appointment. Ordinarily, persons who are actively engaged in subversive activities including members of any organisation the avowed object of which is to charge the existing order of society by violent means shold be considered unfit for appointment under Government. Participation in such activities at any time after attaining the age of 21 years and within three years of the date of enquiry should be considered as evidence that the person is still actively engaged in such activities unless in the interval there is positive evidence of a change of attitude.

(c) Persons dismissed by the Central Government or by a State Government will also be deemed to unfit for apointment to any service under this Government.

28/—

(c) In the case of direct recruits to the State Services under the Uttar pradesh Government includes requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above. The appointing authority shall refer all cases simultaneously to Deputy Inspector General of Police, intelligence and the District Magistrate (of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry) giving full particulars about the candidate. The District Magistrate shall get the reports in respect of the candidates from the Suprintendent of Police who will cousult District Police Records and records of the Local Intelligence Unit. The District Police or the District Intelligence Unit shall not make any enquiries on the spot, but shall report from their records whether there is anything against the candidate, but if in any specific case the District Magistrate, at the instance of the appointing authority asks for an enquiry on the spot, the Local Police or the Local Intelligence Unitswill do so and report the result to him.The District Magistrate shall then report his own views to the appointing authority. here the District Police or the Local Intelligence Units report adversly about a candidate. the district Magistrate may give the candidate hearing before sending his report.

(d) In the case of direct recruits (who are lower in rank than that of a state Service Officer) of:

(i) The Police * (including ministerial staff of Police Officers),

(ii) The Secretariat,

(iii) The staff employed in government factories.

(iv) Power houses and dams,

besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above the appoing auhorities shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General C.I.D. and the District Superintendent of Police **of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry giving full particulars about the candidates. The Superintendent of Police will send his report direct to the appointing authority if there is nothing adverse against the candidate. In cases where the report is unfavourable the Superitendent of Police will forward it to the District Magistrate who will send for the candidate cocerned give him a hearing and then, from his own opinion. All the necessary papers (the Superintendent of Police's report, the candidate's statement and the District Magistrate's finding) will thereafter be sent to the appointing authority.

4. It will be seen that in cases of direct recuits to services other than those mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above, verification shall not be necessary as a matter of routine except in cases of doubt when the procedure mentioned in paragraph 3(b) shall be followed.

5. In the case of a candidate for services mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above--

(i) if at the time of enquiry the candidate is residing in a locality situated outside Uttar Pradesh for if he has resided in such a locality at any time within five years of the date of enqiry for a period of one year or more it shall be the duty of the Deputy Inspector General, C.I.D. to consult also the C.I.D. of the State concerned in which the locality is situated before making his verification report;

Scanned with CamScanner

(ii) If the candidate was residing before partition in area now comprising Pakistan the Deputy Inspector General, C.I.D. shall also make a reference to the Director of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, in addition to the usual enquiries as indicated above.

6. It has also been observed that where the District Magistrates are required to send the attestation forms they sometimes do not sign the forms themselves, Government consider it very desirable that the attestation forms should invariably be signed by the District Magistrates themselves in all such cases.

7. Other State Governments and Administrations are being informed separately that the verification of character and antecedents of recruits to their services from this State will hence forth be done according to the procedure adopted in the case of recruits to different categories of services under this State Government.

8. In order to prevent a candidate, who has been disqualified for Government employment from securing employment in a subordinate or inferior service other than those mentioned in paragraph 3(d), every person recruited to these services should be required at the time of joining his appointment to fill up the form appended as Annexure III to this letter. If he is found to have made a false statement in this connection, he should be discharged forthwith, without prejudice to any other action that may be considered necessary.

9. All questions arising from these orders shall be referred to Government in the Appointment (B) Department for decision.

10. A form each of (i) Particulars about the candidate, (ii) Character Certificate and (iii) Stagtement of cadidates to be used by the enquiring officers is annexed to this letter.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN
Mukhya Sa

No/ 4694 (I)/II-B-321-1947

Copy forwarded for information and ecessary action to--

(1) All Departments of the Secretariat,

(2) the Deputy Inspector General of Police, C.I.D., Uttar Pradesh, Allahabad,

(3) The Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh, Allahabad,

(4) The Secretary to the Governor, and

(5) The Registar, High Court of Judicature at Allahabad.

By order,
P.C. PANDE,
Up Sachiv.

Scanned with CamScanner

ANNEXURE I
ATTESTATION FORM*

Warning
(1) The furnsing of false Information or suppression of any factual information in this form would be a disqualification , and is likely to reder the candidate unfit for employment under the Government.
(2) If detained, convicted, debarred, etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated to the U.P. Public Service Commission, failing which it will be demed to be a suppression of factual information:

1. Name in full with aliases, if any ....
2. Father's name in full with aliases, if any, and desination of service, If any ....
....
3. Nationality of:
Father ....
Mother..
Husband..
Wife..
Place of birth ....
Husband ....
Wife ....
4. Home address in Full :
(i.e. Village, thana and District/Road, Street or Lane with house no.)
....
....

If originally a resident of Pakistan, the address in that Country and the date of migration to India should be stated here.
....
....

5. Present address in full ....
6. Addresses during the preceeding five years ....
....
....
....

7. Age and date of birth (if the candidate is matriculate, his age at matriculation should be noted) ....
8. Educational qualifications howing places of deucation with years in schools and colleges since the 15thyear of the candidate ....

Name of the school/college with full address	date of enty	date of leaving	Examination passed

Scanned with CamScanner

9. Offices or firms with full description and addresses where the candidate peviously worked and where he is working at present, if any ....

Designation of the post held or description of work	period fomc	to	Full address of the office, from or Institution	Full reasons for leaving the pre-vious service

10. Name of two responsible persons in the locality or two referees whom the candidate is know ....

....

....

11. (a) Have you ever been arrested, prosecuted, kept in detention or bound down, fined, convicted by a court of law for any offences or debarred/disqualified by any Public Service Commission from appearing at the examination/selections or debarred from taking any examination, rusticated by any other educational authority/Institution ?

....

(b) Is any case pending against you in any court of law, university or any other educational authority/institution at the time of filling up this attestation form ? ....

If the answer to (a) or (b) is "Yes" full particulars of the case, arrest, detention, fine, conviction, sentence, etc, and the nature of the case pending in the court/university/educational authority, etc. at the time of filling up this form, whould be given ....

....

....

....

(Please also see the warning at the top of the attestion form)

(Certificate to be signed by the candidate)

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Date..............................

Signature of Candidate

Place ....

Scanned with CamScanner

ANNEDUCR II

Character Certificate

Certified that I have know Sri ------------------------ ---------- Son of ---------------------------------- .... For the last ....years ....months and that to the best of my knowledge and belief he bears a reputable character and has no antecednts which render him unsuitable for Governmnet employment.

2. Sri .... is/is not related to me.

Place......................................
Dated......................................

Signature ....
Designation ....

ANNEDUCR III

Form of Statement of candidates under consideration for appointment to a subordinate service under Government

I .... a candidate for appointment to .... hereby certify that my answers to the following questions are correct:

(a) Have you previously been employed by the Central or a State Government?

*No
------- See below :
*Yes

Department or office in which previously employed	Designation of appointment	Reasons for termination of appointment

(b) Have you previously applied with sucess for an appointment under the Central or a State Government ?

*No
--------- See below :
*Yes

Department or office in which an appointment was sought	Designation of appointment applied for

I understand that if the above statement is false in any materials respect; my appointment is liable to be terminated without notice, and without my being entitled to claim any compensation and without prejudice to any other action that may be considered necessary by competent authority.

Signature of candidate

Date

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट—''ठ''

शपथ पत्र का प्रारूप

श्री/श्रीमती/कुमारी..........................उम्र लगभग ....वर्ष पुत्र/पुत्री/पति श्री ....
निवासी—ग्राम/मुहल्ला मकान संख्या .... डाकघर.................. विकास खण्ड.................... थाना ....
तहसील .... जिला ....(पिन कोड..................) का **शपथ पत्र**।

मैं.......................... उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ:—

(1) यह कि मै उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)** के पद पर नियुक्ति हेतु जिला .... से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुकमॉक .... है।

(2) यह कि मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी मे कभी पजीकृत नहीं हुआ है। और न ही कोई पुलिस विचवेना(**INVESTIGATION**) लम्बित है और न ही मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) यह कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम/दाण्डिक न्यायालय द्वारा सिद्धि दोष (**CONVICTION**) नहीं किया गया है।

(4) यह कि मै किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी भी सदस्य नहीं रहा है।

(5) यह कि मैं कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा हूँ।

(6) यह कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(7) यह कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया गया है।

(8) यह कि मै राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा से कभी भी बर्खास्त(**DISMISS**) नहीं किया गया है।

(9) यह कि आवेदन—पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पायी जाय अथवा किसी सत्य को छिपाया गया तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाय/कोर्स से निकाल दिया जाये तथा विधिक दण्ड दिया जाये।

(10) यह कि मैंने कभी भी किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है।

(11) यह कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरूद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरूद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोषमुक्त किया गया है, उसका विवरण निम्नवत है:—(आवश्यकतानुसार शीट संलग्न करें)

(1)
(2)
(3)

(12) यह कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण—पत्र जो ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सत्य हैं

(13) (क) यह कि मै अविवाहित/विधुर हूँ।
(ख) यह कि मै विवाहित हूँ तथा एक ही जीवित पत्नी है।
(ग) यह कि मै विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नियाँ है।

(14) यह कि यदि इस शपथ—पत्र(घोषण—पत्र) में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो मुझे **पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)** कोर्स/सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाये एंव मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी प्रकिया अमल में लायी जाय।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा शपथकर्ता

मै.....................उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ—पत्र के प्रस्तर .... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। इस शपथ—पत्र के प्रस्तर .... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य है। इसका अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है। तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनॉक .... को .... पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

परिशिष्ट–"ड"

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रतिदिन (डेली) सूचना भेजने का प्रारूप)

क0सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	चरित्र सत्यापन का दिनॉक	कितने अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की गयी	कितने अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन की कार्यवाही शेष है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5			14

उपयुक्त अभ्यर्थी हेतु

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा 10 विन्दुओं की अग्रसारित की जाने वाली आख्या का निर्धारित प्रारूप

क0सं0	अभिलेखों का विवरण	यथा स्थिति
1	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/अप्लीकेशन नम्बर/अनुक्रमॉक/स्थायी पता आदि का मिलान उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी चयन सूची से मिलान करने पर चयनित (**SELECT**) पाया गया।	हॉ / नहीं
2	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (यथा चिकित्सा परिषद अथवा मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड) में फिट घोषित।	हॉ / नहीं
3	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में की गयी घोषणाओं में कोई प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हॉ / नहीं
4	स्थानीय थाना/अभिसूचना इकाई (एलआईयू) से प्राप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरूद्व किसी प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हॉ / नहीं
5	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरूद्व किसी प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हॉ / नहीं
6	अभ्यर्थी के घोषणा पत्र में की गयी घोषणा एवं चरित्र सत्यापन आख्या में विरोधाभाषी तथ्य नहीं पाये गये।	हॉ / नहीं
7	अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण आदि का या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो, तो तत्सम्बन्धी अभिलेख उपयुक्त पाये गये।	हॉ / नहीं
8	अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट) उपयुक्त पाये गये।	हॉ / नहीं
9	वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गये।	हॉ / नहीं
10	अभ्यर्थी के पत्रावली पर गृह जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनापत्ति प्रमाण–पत्र है।	हॉ / नहीं

नियुक्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पत्रावली पर उपरोक्त विवरण रखा जाय तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाये।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
व मुहर सहित नाम व पद नाम

36/–

अनुपयुक्त अभ्यर्थी

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा 10 विन्दुओं की अग्रसारित की जाने वाली आख्या का निर्धारित प्रारूप

क्0सं0	अभिलेखों का विवरण	यथा स्थिति
1	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/अप्लीकेशन नम्बर/अनुक्रमॉक/स्थायी पता आदि का मिलान उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी चयन सूची से मिलान करने पर चयनित (**SELECT**) पाया गया।	हॉ / नहीं
2	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (यथा चिकित्सा परिषद अथवा मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड) में फिट घोषित।	हॉ / नहीं
3	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में की गयी घोषणाओं में कोई प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हॉ / नहीं
4	स्थानीय थाना/अभिसूचना इकाई (एलआईयू) से प्राप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हॉ / नहीं
5	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी प्रतिकूल तथ्य के सम्बन्ध में।	हॉ / नहीं
6	अभ्यर्थी के घोषणा पत्र में की गयी घोषणा एवं चरित्र सत्यापन आख्या में विरोधाभाषी तथ्य नहीं पाये गये।	हॉ / नहीं
7	अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण आदि का या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो, तो **तत्सम्बन्धी अभिलेख अनुपयुक्त पाये गये।**	हॉ / नहीं
8	अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट) उपयुक्त पाये गये।	हॉ / नहीं
9	वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गये।	हॉ / नहीं
10	अभ्यर्थी के पत्रावली पर गृह जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनापत्ति प्रमाण–पत्र है।	हॉ / नहीं

नियुक्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पत्रावली पर उपरोक्त विवरण रखा जाय तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही स्वमुखरित आदेश के माध्यम से किया जायेगा।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
व मुहर सहित नाम व पद नाम

चेक लिस्ट

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार की जाने वाली चेक लिस्ट)

क0सं0	अभिलेखों का विवरण	यथा स्थिति
1	आवेदन पत्र की प्रति, अनुकमॉक, चयनित	हॉ / नहीं
2	उपयुक्त होने सम्बन्धी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (यथा चिकित्सा परिषद अथवा मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड) मूलरूप में	हॉ / नहीं
3	शपथ पत्र मूलरूप में।	हॉ / नहीं
4	शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्रों(हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र) की प्रमाणित प्रति	हॉ / नहीं
5	यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण सम्बन्धी कोई लाभ लिया गया है तो उसके सम्बन्ध प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ।	हॉ / नहीं
6	चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिर्पोट(स्थाई पता/पत्र व्यवहार पता से सम्बन्धित थानों से/स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ) मूलरूप में	हॉ / नहीं
7	अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो तो तत्सम्बन्धी अभिलेख उपयुक्त पाये गये।	हॉ / नहीं
8	अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्रों(हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र) उपयुक्त पाये गए।	हॉ / नहीं
9	वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गये हैं।	हॉ / नहीं
10	अभ्यर्थी के सन्दर्भ में यदि कोई जॉच/अभियोग/प्रतिकूल तथ्य जो प्रकाश में आये हैं, किसी सरकारी विभाग को सन्दर्भित किया गया है तो इसका विवरण	हॉ / नहीं

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

जनपद.............................

"पुलिस सहायक उप निरीक्षक .... के पद पर नियुक्ति का प्रारूप''

आदेश

"उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली–2016" में निहित व्यवस्था के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा अभ्यर्थी .... अनुक्रमॉक .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी–ग्राम......................... पोस्ट– .... थाना–.......... तहसील–.................... जनपद–..................... (पिन कोड नं0.................)राज्य........................को **पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक)** के पद पर चयनित किया गया है।

2– अतः अभ्यर्थी .... अनुक्रमॉक .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....निवासी–ग्राम............... पोस्ट–............ थाना–................ तहसील–...............जनपद–................ (पिन कोड नं0...............) राज्य .... को "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली–2016" के अधीन **उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग** सेवा में **सीधी भर्ती–2020** के **पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक)** के पद पर अस्थाई रूप से जनपद .... में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

3– अभ्यथी ....की यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। इन्हें प्रतिमाह नियमानुसार अनुमन्य वेतनमान लेवेल– ग्रेड पे 2800/– मैट्रिक्स 5200–20200 मे मूल वेतन रूपया .... प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया् अस्थाई होगी, जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.............................

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद....................

संख्या–.................................. दिनॉक...............................

प्रतिलिपि–प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिक्रूट आरक्षी को भर्ती एंव प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जे0टी0सी0 कराने तथा किट प्रदान करने हेतु।

2– ऑकिक/प्रधान लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– अभ्यर्थी .... अनुकमॉक .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी–ग्राम................ पोस्ट–.................... थाना–........................तहसील–....................जनपद–.......................... (पिन कोड नं0..................) राज्य .... को इस निर्देश के साथ कि इस नियुक्ति–पत्र के प्रस्तर–2 में अंकित दिनॉक से 01 माह के भीतर मेस एडवान्स, जाड़े–गर्मी के कपड़े एवं बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन/वाहिनी .... जनपद .... में सेवा/प्रशिक्षण के लिए आगमन करना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर आपके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

आपके निवास स्थान से पुलिस लाइन .... जनपद .... आने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

जनपद............................

<u>संख्या तथा दिनॉक वही</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1– पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक .... जोन .... ।

3– पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक .... परिक्षेत्र .... ।

4– पुलिस अधीक्षक स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को उनके पत्रॉक .... दिनॉक...........................के सन्दर्भ में।

अभ्यर्थियों से सम्बन्धित अलग—अलग पत्रावलियों का प्रारूप

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में चयनित सभी अभ्यर्थियों की अलग—अलग पत्रावलियॉ होनी चाहिए तथा पत्रावली के ऊपर निम्नलिखित शीर्षक अंकित किया जाय।

1— भर्ती बोर्ड से प्राप्त होकर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित सूची का मुख्य कमॉक........................

2—अभ्यर्थी का नाम..

3— पिता का नाम..

4— गृह जनपद..

5— उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त...

6— यदिअनुपयुक्त हैं तो किस स्तर पर और उसका संक्षिप्त विवरण अंकित किया जायः—............
....
....

7— नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद..

पत्रावली के अन्दर निम्नवत् कम में अभिलेखों का रख जाना अपेक्षित हैः—

(पृष्ठों की संख्या......................)

1— अभ्यर्थी का ओ.एम.आर. आवेदन पत्र...

2— स्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिर्पोट...

3— अस्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिर्पोट..

(1) ....

(2) ....

(3) ....

4— अभिसूचना विभाग की चरित्र सत्यापन की रिर्पोट...

(कुल पृष्ठों की संख्या.....................)

उपस्थिति पत्रक का प्रारूप

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 में चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें 01 से 10 तक ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी, जिसका प्रारूप निम्नवत है :–

क0 सं0	अभ्यर्थी का अनुकमॉक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता का नाम	दिनॉक	अभ्यर्थी का मोबाइल नम्बर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी का अगुंष्ठा छाप	नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर